"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 — वैशाख 9, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 4228/डी. 144/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22-04-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 17 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5-क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 5-क में,-

(एक) उप-धारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "रुपये तीन लाख" आये हों के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) उप-धारा (2) में, शब्द "एक लाख पचास हजार" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (1) में शब्द "सोलह हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-ग का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 6-ग में, शब्द "दस हजार रुपये प्रतिमाह" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

अनुसूची का संशोधन.

5. विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची
[धारा 2(घ) देखिये]

स. क्र.	धारा	वेतन/भत्तों का विवरण	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 3	सदस्यों का वेतन	रुपये 20,000 प्रतिमास
2.	धारा 4	सदस्यों के लिये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.	रुपये 30,000 प्रतिमास
3.	धारा 4-क	टेलीफोन भत्ता	रुपये 5,000 प्रतिमास
4.	धारा 4-ख	अर्दली भत्ता	रुपये 15,000 प्रतिमास

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	धारा 4-ग	(एक) दैनिक भत्ता	(एक) रुपये 1,000 प्रतिदिन
		(दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अतिरिक्त दैनिक भत्ता	(दो) रुपये 1,000 प्रतिदिन
6.	धारा 5-क (1)	सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा	रुपये 4,00,000 प्रतिवर्ष
7.	धारा 5-क (2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा	रुपये 2,00,000 प्रतिवर्ष
8.	धारा 6-क (1)	पेंशन	रुपये 20,000 प्रतिमास
9.	धारा 6-ग	भूतपूर्व सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता	रुपये 15,000 प्रतिमास
10.	धारा 7 (1)	सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता	रुपये 10,000 प्रतिमास."

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 4228/डी. 144/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 17 of 2016)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5-A.

2. In Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act),-

   (i) in sub-section (1), for the words "Rs. Three Lac", wherever they occur, the words "as specified in the Schedule" shall be substituted; and

   (ii) in sub-section (2), for the words "Rs. One Lac Fifty Thousand", the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 6-A.

3. In sub-section (1) of Section 6-A of the Principal Act, for the words "Sixteen thousand rupees per mensem", the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 6-C.

4. In Section 6-C of the Principal Act, for the words "Ten thousand rupees per month", the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Amendment of Schedule.

5. For the existing Schedule, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE

[See Section 2 (d)]

S. No.	Section	Pay/Allowance Particular	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Section 3	Salaries of Member	Rupees 20,000 per mensem
2.	Section 4	Constituency allowance for member.	Rupees 30,000 per mensem
3.	Section 4-A	Telephone allowance	Rupees 5,000 per mensem
4.	Section 4-B	Ardali allowance	Rupees 15,000 per mensem

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Section 4-C	(i) Daily allowance	(i) Rupees 1,000 per day
		(ii) Additional daily allowance for attending the meeting of Vidhan Sabha or meeting of Committees.	(ii) Rupees 1,000 per day
6.	Section 5-A(1)	Rail and Air Travel for members	Rupees 4,00,000 per year
7.	Section 5-A(2)	Rail and Air Travel for ex-members	Rupees 2,00,000 per year
8.	Section 6-A(1)	Pension	Rupees 20,000 per mensem
9.	Section 6-C	Medical allowance for ex-members.	Rupees 15,000 per mensem
10.	Section 7(1)	Medical allowance to members	Rupees 10,000 per mensem."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.